निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 118 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून के माह 1/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री बिभाष मुखर्जी एवं श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01/02/2019 से 12/02/2019 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-।

1. **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा श्री राघवेंद्र सिंह एवं श्री अनिल कुमार शर्मा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03/01/2018 से 12/01/2018 तक श्री डी पी सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी उक्त लेखा परीक्षा में माह 02/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखो की सामान्यतः जांच की गई थी

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून** के अंतर्गत डोईवाला विधान सभा क्षेत्र,रायपुर विधानसभा क्षेत्र एवं ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र(आंशिक) के अंतर्गत आने वाली नहरों एवं गूलों के निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में
2015-16				895.02	859.37	3096.14	3088.32
2016-17				820.33	702.28	2176.08	2174.47
2017-18				795.18	775.9	1692.1	1697.06
2018-19 (12/2018)				-	-	1997.48	1308.88

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17		शून्य			
2017-18					
2018-19(12/2018)					

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

2. मुख्य अभियन्ता स्तर-1,सिंचाई विभाग, देहरादून

3.अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, देहरादून

4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2018 को विस्तृत जांच हेतु एवं नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में बालावाला नहर चेनेज 4.050 से 5.200 किमी. एवं मियांवाला नहर चेनेज4.850 से 5.700 किमी सेवा मार्गो के चौडीकरण एवं सुधरीकरण के कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

7. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ---------से ---------- का निरीक्षण किया गया।

8. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2018 तक की गई।

9. फार्म 51: माह 12/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs 34,87,081.62

भाग द्वितीय Rs 2,41,901.41

10. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	रु 1239417.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन शून्य	शून्य
(घ)	निक्षेप	रु 4,07,80,834.70
(ङ)	भण्डार	रु -2,50,34,668.00

भाग-II (ब)

प्रस्तरः1- रॉयल्टी की धनराशि की वसूली का नहीं किया जाना रु 267374.80 ।

उत्तराखंड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2005 के नियम 11 एवं आदेश संख्या 1575/**VII-**1/158-ख/04/टीसी-**II**दिनांक 30-09/2016 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि खनिजो का परिवहन प्रपत्र-**J** में अभिवहन पास जारी किए बिना भंडारण परिसर/स्टोन क्रेशर स्वामी/ स्क्रिनिग प्लांट से किसी अन्य स्थान को नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा कलंगा **(**Kalanga) नहर के सेवा-मार्ग के चौडीकरण कार्य के सापेक्ष ठेकेदार- M/s Himalayan Construction को ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी की छूट हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी रायल्टी की धनराशि की कटौती न करते हुए रु 5191020.00 का भुगतान किया गया था एवं ठेकेदार से वसूली जाने वाली धनराशी रु 267374.80 की वसूली देयक नहीं की गई थी

लेखा परीक्षा द्वारा इस और इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया कि ठेकेदार द्वारा रायल्टी सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया है खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा रायल्टी की छूट हेतु जो प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था वह बालाजी ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित बिल मात्र है जिसके द्वारा सामग्री का लाया जाना बतलाया गया है. जो नियमानुसार मान्य नहीं है.एवं उक्त बिल के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा अन्य कोई प्रपत्र खण्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

अतः खंड द्वारा ठेकेदार के देयकों से रु 2,67,374.80 की रॉयल्टी की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- II (ब)

प्रस्तर:2 शासकीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना `11.12 लाख मूल्य के 200 मीटर अतिरिक्त लम्बाई में मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का निष्पादन किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 316(1) के अनुसार प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, सक्षम अधिकारी से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए एवं यदि मूल प्रस्ताव में कोई संशोधन करना हो तो उस संशोधन के लिए सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद देहारादून के डोईवाला विकास खण्ड में बालावाला नहर चैनेज 4.050 से 5.200 किमी0 एवं मियांवाला नहर चैनेज 4.850 से 5.700 किमी0 सेवा मार्गों के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु `424.58 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति, दिनांक 24 जुलाई 2015 को प्रदान की गई। खण्ड द्वारा उपरोक्त कार्य का विस्तृत आगणन तैयार करते समय बालवाला नहर के 1150 मीटर एवं मियांवाला नहर के 850 मीटर सेवा मार्गों के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ मियांवाला नहर के 200 मीटर अतिरिक्त सेवा मार्गों के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (`11.12 लाख मूल्य के) को भी न केवल विस्तृत आगणन में सम्मिलित किया गया बल्कि 200 मीटर के अतिरिक्त चैनेज पर चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी निष्पादित किया गया, जो कि वित्तीय नियम के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि लिंक रोड तथा कार्य के दौरान कार्य की वास्तविक चैनेज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मूल योजना में अतिरिक्त चैनेज (200 मीटर) का समावेश किया गया। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य के दौरान कार्य की वास्तविक चैनेज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये यदि मूल योजना में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक था तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से उसका पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार शासकीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना `11.12 लाख मूल्य के 200 मीटर अतिरिक्त लम्बाई में मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का निष्पादन किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	12/2003-04	-	1
2	20/2004-05	-	1,**2**
3	45/2005-06	-	1
4	56/2006-07	-	1,**2,3**
5	39/2007-08	01	1,2,3,4,5
6	65/2008-09	-	1,5
7	89/2010-11	-	-
8	78/2011-12	-	12
9	57/2013-14	01	1
10	71/2015-16	-	1,2,3
11	66/2017-18	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री डी के सिंह	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   श्री कुशल सिंह राणा

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2